चिरेका/चित्तरंजन

सं. जीएमए/पेन/40वीं पेंशन अदालत

दिनांक: 01/08/2025

सर्व-संबंधित

विषय : 40वीं पेंशन अदालत 2025.

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन में दिनांक:15.12.2025 (सोमवार) को 10.30 बजे से बधवार हॉल/तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र/चिरेका/चित्तरंजन में 40वीं पेंशन अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

पेंशन अदालत में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन के पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन, भविष्य निधि/डीसीआरजी/ पेंशन के परिवर्तित मूल्य/ छुट्टी वेतन के नकदीकरण/ रेलवे या समूह बीमा की गैर-प्राप्ति से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। विशुद्ध रूप से कानूनी मुद्दे जैसे उत्तराधिकार आदि से संबंधित मामले पेंशन अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुरोध है कि इस सूचना का व्यापक प्रसार किया जाए ताकि पूर्व कर्मचारी/ पूर्व कर्मचारियों के परिवार के सदस्य सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामले पर अपनी शिकायत के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

आवेदन दो प्रतियों में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक –क) में संलग्न किया जाना चाहिए, ताकि इस कार्यालय में 31.10.2025 तक अवश्य पहुंच जाए।

सामान्यतः 31.10.2025 के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदकों या उनके प्रतिनिधियों को अपने स्वयं के खर्च पर "अदालत सत्र" में भाग लेना होगा।

नोट: नोटिस चिरेका की वेबसाइट www.clw.indianrailways.gov.in पर **News & Recruitment →** Important Notice में उपलब्ध है।

पार्थ बोस

(पार्थ बोस)
सहायक कार्मिक अधिकारी/प्रशासन
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

(अनुलग्नक-क)

सेवा में,

मुख्य कार्मिक अधिकारी
चितरंजन रेल इंजन कारखाना
चितरंजन

विषय: 40वीं पेंशन अदालत-2025 में शिकायत के लिए आवेदन।

1.	आवेदनकर्ता का नाम	
2.	पूर्व कर्मचारी का नाम	
3.	सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि	
4.	पूर्व कर्मचारी का पदनाम, टिकट/ संख्या एवं कार्यालय	
5.	विभाग	
6.	पिन कोड सहित डाक पता	
7.	पी.पी.ओ. संख्या	
8.	मोबाईल नंबर	
9.	व्हाट्स एप नंबर.	
10.	शिकायत की प्रकृति	

दिनाक:

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर